

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या ४७६/2023

08.09.2023

आवेदिका सीता देवी पति गंगा प्रसाद, साकिन-कोडरमा, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला- कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
कोडरमा	333	30	4377	1.84 डी०	रेयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक १५/०९/2023 को प्रस्तुत करें।

08/09/2023  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यांता की जाँच की गई एवं पाया गया कि:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नकित कागजात प्रस्तुत किया गया है—  
— फ़िल्म-१८५४-६२ की दृश्याप्रस्तुति ।

07. आवेदक द्वारा अपने दाव के संबंध में १०००००५०६२ की दायाप्रसी |

1) केवला. फ्लॉ. 3335, फ्लॉ. 26-07  
 2) औलाई व्हिए दी पति।

3) शसन-पत्र सं- ७७, दि- 21-08-23 की मूल त्रटि।

08: यादि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है सथवा नहीं :- ३१

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- नहीं

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू हृदबंदी/भवन लीज या सरकारी सम्पत्ति की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमे के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :-

10. हल्का कर्मचारी एवं अचल निराकार का व्यवहार  
प्रदाशाम् मौजा-कोडरमा, पाना मे- 333 अंतर्गत खात दे- 30, लोट  
मे- 45त, खाता- 06 डी-मूम की जमावंदी परस साव कान्दू, निवा-  
मुलन साव कान्दू के नाम से अंतर्लाइव बंडी-ए के दृष्ट (भाग दे- 62 अ-  
द्धर्ज है शुभ इनही खात की है। उक्त मूम अवैदिक के समुद्र परस साव  
कान्दू के नाम से केवल दारा स्थान है। वंशावली के अवृत्तार अवैदिक का  
दृष्टा दृष्ट नहीं है एवं अन्य विद्योदारों का अवाप्ति-पत्र संलग्न नहीं है।  
अतः उक्त विधान में मू-सामिल पत्र निर्गत करना उचित  
प्राप्ति नहीं होता है।

## हस्ताक्षर

## अंचल निरीक्षक

~~31st October~~

*Dmit*

## राजस्व कर्मचारी

नाम— अविल कमार

## हल्का संख्या-IV